न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान कृष्ण लाल बनाम सुशीला देवी आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 90 / 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
17.04.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। केवियट प्रार्थना–पत्र पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मातहत अदालत ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 69 की अवहेलना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश से उत्साहित होकर अपीलाण्ट के खेत में से नया रास्ता कायम करने पर आमादा है। इसलिए रेस्पोडेण्ट को स्थगन आदेश से पाबंद किया जावे। अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि का सम्वत 2012 से खतोदार काश्तकार है। संम्वत 2012 में ख. नं. 115 की भूमि केवल अपीलाण्ट के मोरूसान की ही थी। अधीनस्थ न्यायलाय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। रेस्पो0 सं0 1 की किला नं. 1 में स्वयं की भूमि स्थिति है तथा अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता की मांग करना गैर कानूनी है। अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट को बिना सुनवाई के एकपक्षीय तौर से नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। यह अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2014 (1) राज0 पेज 35 आरआरटी 2016 (2) पेज 1391, आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 712, सीसीसी 2018 (1) पेज 626, डीएनजे 2014 (2) राज0 पेज 826, आरआरटी 2016 पेज 580, आरआरटी 2016 (2) पेज 1084 पेश किया। विद्वान अधिवक्ता केवियटकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायलाय ने अपीलण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 3 ता 6 को रास्ता बन्द न करने हेतु पाबन्द किया था उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय में जवाब हेतु प्रकरण लम्बित है। अपीलाण्ट द्वारा चाहा गया स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि मौका पर रास्ता चालू है अपीलाण्ट की अपील मियाद बाहर है। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे एवं अपील भी खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायलाय के आदेश पेश की है जो कि एक अन्तरिम आदेश है। अपीलाण्ट के पास अधीनस्थ न्यायालय अपने तथ्य रखने हेतु पर्याप्त अवसर है। अपीलाण्ट को अपने कथन अधीनस्थ न्यायालय में करने चाहिए। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण का निस्तारण 2 माह में करे। तब तक उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

17.4.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़